

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं०-३/आ० वि० (संघा०)- ०१-०६/२०१६

गैर-योजना

155

(147)

प्रेषक,

बीरेन्द्र कुमार,
निदेशक।

सेवा में,

जिला कल्याण पदाधिकारी,
भागलपुर/पूर्णियाँ।

विषय: वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैर योजनान्तर्गत अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालयों के संधारणार्थ सामग्री एवं पूर्तियों मद में कुल ₹ 51,78,600/- (एक्यावन लाख अठहत्तर हजार छः सौ रु०) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

पटना, दिनांक- 30.03.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैर योजनान्तर्गत अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित 65 अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालयों के संधारणार्थ आवंटनादेश संख्या-06 दिनांक 28.04.2016 द्वारा ₹ 17,37,32,000/- (सत्रह करोड़ सैतीस लाख बतीस हजार रु०) आवंटनादेश संख्या-40 दिनांक 12.09.2016 द्वारा कुल ₹ 23,66,07,000/- (तेईस करोड़ छियाछठ लाख सात हजार रु०) तथा आवंटनादेश संख्या-101 दिनांक 16.02.2017 द्वारा कुल ₹ 22,79,04,000/- (बाईस करोड़ उनासी लाख चार हजार रु०) आवंटित किया गया था।

जिला कल्याण पदाधिकारी, लखीराराय द्वारा ज्ञापांक- 171 दिनांक 30.03.2017 के द्वारा सामग्री एवं पूर्तियों मद में कुल ₹ 51,78,608/- (एक्यावन लाख अठहत्तर हजार छः सौ आठ रु०) प्रत्यार्पित की गयी है। उक्त प्रत्यर्पण को स्वीकार किया जाता है।

जिला कल्याण पदाधिकारी, पूर्णियाँ तथा जिला कल्याण पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा मांग के आलोक में सामग्री एवं पूर्तियों मद में संलग्न विवरणी के अनुसार कुल ₹ 51,78,600/- (एक्यावन लाख अठहत्तर हजार छः सौ रु०) की अतिरिक्त राशि आवंटित की जाती है।

2. कुल भारित व्यय की राशि वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैर योजना आय व्यय शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जातियों, तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01- अनुसूचित जातियों का कल्याण-277-शिक्षा-0003-आवासीय विद्यालय-मांग सं०-44-विपत्र कोड सं०-N2225012770003-कूट संख्या 2101- सामग्री एवं पूर्तियों के उचित इकाई के अन्तर्गत विकलनीय है।

3. आवंटित राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्र सं०-2561 दिनांक-17/4/98 एवं पत्रांक-एम-4-05/98-2607/वि० (2) दिनांक-20/4/98 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत पत्रों एवं परिपत्रों के आलोक में किया जाय। आवंटन के अनुरूप ही व्यय विवरणी प्रत्येक माह उपलब्ध कराया जायेगा।

4. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे। संबंधित प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

5. व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र समेकित रूप से निदेशक, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण उपलब्ध करायेंगे ।

6- इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना को दी जा रही है ।

7- सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि के आवंटन की सूचना दी जा रही है ।

8- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय ।

विश्वासभाजन,

(वीरेंद्र कुमार) 30/03/17
निदेशक

ज्ञापांक- सं०-3/आ० वि० (संघा०)- 01-06/2016- 155 पटना, दिनांक - 30.03.2017
प्रतिलिपि : (1) विवरणी के साथ महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा/ निदेशक, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/ संबंधित कोषागार /उप कोषागार पदाधिकारी /संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त / संबंधित जिला पदाधिकारी/ संबंधित उप विकास आयुक्त, / संबंधित सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण /आई०टी० मैनेजर, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/ प्रशाखा पदा० 1 एवं 2 /सांख्यिकी कोषांग, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

निदेशक 30/3/17

1125

विवरणी-1

वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैरयोजनान्तर्गत अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालयों में सामग्री एवं पूर्तियों मद में आवंटित राशि की विवरणी।

क्रमांक	जिला का नाम	विद्यालय का नाम	सामग्री एवं पूर्तियों	कुल आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1	भागलपुर	रा०अ०आ०उ०विद्यालय, कंपनीबाग, भागलपुर	960400	960400
2	पूर्णियाँ	रा०अ०आ०उ०विद्यालय, जानकीनगर, पूर्णियाँ	4218200	4218200
कुल योग			5178600	5178600

(एक्यावन लाख अठहत्तर हजार छः सौ रु०)

निदेशक 30/12/17

पत्रांक- 155 दिनांक- 30-12-17 का अनुलग्नक